आदेश

1. बिहार सरकार, गृह विभाग (आरक्षी शाखा) के ज्ञापांक 1/सी01–13/2019 गृ0आ0 10087 दिनांक 25.11.2019 द्वारा पुलिस मुख्यालय को संगठित करने संबंधी संकल्प निर्गत हुआ है। उक्त संकल्प की कंडिका 5 में प्रावधानित समिति का गठन हुआ है और समिति की अनुशंसाओं के अनुरूप ज्ञापांक एल0 2 /52–05–01–2019/49 दिनांक 03.02.2020 द्वारा आदेश निर्गत किया गया है।

2. उक्त संकल्प की कंडिका 5 निम्नवत है:–

" 5. पुलिस मुख्यालय के कुशल संचालन एवं सभी उत्तरदायित्वों के सुचारू निर्वहन हेतु पुलिस महानिदेशक, बिहार एक त्रिसदस्यीय समिति का गठन करेंगे, **जो प्रभागों में विभिन्न स्तरों पर कर्तव्यों एवं दायित्वों के निर्धारण तथा किस प्रभाग में कौन–कौन से प्रशाखा रहेंगे इसकी अनुशंसा करेगी।** उक्त अनुशंसा के आलोक में प्रभागों में विभिन्न स्तरों पर निर्णय लेने की शक्ति क्या होगी, किस विषय की कौन सी संचिका किस स्तर पर निष्पादित होगी एवं कौन–कौन प्रशाखा किसी प्रभाग विशेष में रहेंगे, इस संबंध में पुलिस महानिदेशक, बिहार एक स्पष्ट आदेश निर्गत करेगें। त्रिसदस्यीय समिति की संरचना निम्नवत होगी:–

1. अपर पुलिस महानिदेशक (मुख्यालय) – अध्यक्ष,
2. अपर पुलिस महानिदेशक (विधि–व्यवस्था) – सदस्य,
3. पुलिस महानिरीक्षक (मुख्यालय) – सदस्य।

यह प्रकिया संकल्प निर्गत होने की तिथि से एक माह के अन्दर पूरी कर ली जायेगी।"

3. संकल्प की भावना प्रभागों के अन्दर कार्यो के वितरण एवं निष्पादन की प्रक्रिया तक सीमित है। समिति द्वारा की गयी अनुशंसाओ के अवलोकन से ज्ञात होता है कि अनुशंसा कंडिकाएँ विशेषकर 2, 4, 5, 6, 8 एवं 9 राज्य सरकार के संकल्प की कंडिका 5 में समिति को प्रदत शक्तियों से बाहर जाकर की गयी हैं।

4. वर्तमान में बिहार पुलिस मुख्यालय में अपर पुलिस महानिदेशक कोटि में कई नए पद भी कार्यरत हो गये हैं, जिनके बीच कार्यों का वितरण पुलिस महानिदेशक द्वारा उक्त संकल्प की कंडिका 3 (घ) के अनरूप किया जाना है।

अतः ज्ञापांक एल0 2/52–05–01–2019/49 दिनांक 03.02.2020 द्वारा निर्गत आदेश को रद्द किया जाता है एवं गठित समिति को राज्य सरकार के संकल्प की कंडिका 5 में दी गयी शक्तियो के आलोक में प्रभागों के अन्दर की व्यवस्था पर अपनी अनुशंसा एक माह के अन्दर समर्पित करने का निदेश दिया जाता है।

30/5/2021

पुलिस महानिदेशक,
बिहार, पटना

O/C

ज्ञापांक एल0 2 /52–05–01–2019/ 41

बिहार पुलिस मुख्यालय

(स्थापना एवं विधि प्रभाग)

पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः–

1. अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना को कृपया सूचनार्थ।
2. सभी पुलिस महानिदेशक कोटि के पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ।
3. सभी अपर पुलिस महानिदेशक कोटि के पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ।
4. सभी पुलिस महानिरीक्षक कोटि के पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ।
5. सभी पुलिस उप महानिरीक्षक कोटि के पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ।
6. सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक कोटि के पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ।
7. सभी प्रशाखा पदाधिकारियों /पुलिस उपाधीक्षक, नियंत्रण कक्ष तथा रक्षित प्रशाखा/ सहायक निदेशक, पुलिस मुख्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ ।
8. आई.टी. मैनेजर को पुलिस मुख्यालय के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।

30/5/2021

पुलिस महानिदेशक,
बिहार, पटना